रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-12012026-269300
CG-KA-E-12012026-269300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

केनरा बैंक

अधिसूचना

बेंगलूरु, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. HR&PRW IRV IR&PS PP 18 2026 (E).— बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976, (जिन्हें आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम (6) में, —

(a) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) जहाँ जाँच आयोजित करने का प्रस्ताव है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों और आरोपों के लेखों के आधार पर निश्चित और अलग-अलग आरोप तैयार करेंगे, साथ ही आरोपों का विवरण, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनकी सूची, ऐसे दस्तावेजों की एक प्रति और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, जिन पर वे आधारित हैं, लिखित रूप में अधिकारी कर्मचारी को बताई जाएगी, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर पंद्रह दिनों से अधिक नहीं या उक्त प्राधिकरण द्वारा दिए गए ऐसे विस्तारित समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा:

बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में, बचाव का लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय का विस्तार आरोपों की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगा :

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराना संभव न हो, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को इस निमित्त निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।"

(b) उप-विनियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(12) उप-विनियम (11) के अंतर्गत अधियाचना प्राप्त होने पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास अधियाचित दस्तावेज़ भौतिक रूप से या डिजिटल रूप में हैं या जिनकी अभिरक्षा या कब्ज़ा है, उन्हें ऐसी अधियाचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा या अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करेगा:

बशर्ते कि यदि अधिग्रहीत दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जे वाला प्राधिकारी, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो कि ऐसे सभी या किसी भी दस्तावेज को पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तो वह तदनुसार जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा और जांच प्राधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर अधिकारी कर्मचारी को सूचना संप्रेषित करेगा और ऐसे दस्तावेजों की खोज के लिए अपने द्वारा की गई अधिग्रहीत अर्जी वापस ले लेगा।";

(c) उप-विनियम (21) में, खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) (क) जांच प्राधिकरण अपनी जांच पूरी करेगा और जांच प्राधिकरण के रूप में अपनी नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(ख) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं है, जांच प्राधिकरण कारणों को दर्ज कर सकता है और लिखित रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकरण से समय विस्तार की मांग कर सकता है, जो ऐसी जांच को पूरा करने के लिए एक बार में छह महीने से अधिक अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है;

(सी) अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उसकी ओर से अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए एक बार में छह महीने से अधिक अवधि के लिए विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

3. उक्त विनियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

[विनियम 3(बी), (जी), (एन), 17 और 18 का अवलोकन करें]

क्रम संख्या	पद का नाम	अनुशासनात्मक प्राधिकरण	अपील प्राधिकरण	समीक्षा प्राधिकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II में अधिकारी	सहायक महाप्रबंधक	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
2.	मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III में अधिकारी	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV वा वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-V के अधिकारी	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यकारी निदेशक
4.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VI में अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
5.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VII में अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड की समिति
6.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII में अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड की समिति	बोर्ड।"

बीपी जाटव, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./610/2025-26]

नोट : केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, *द्वारा प्रकाशित किए गए थे* और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं *द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्:–*

क्रम संख्या	भाग और अनुभाग	अधिसूचना संख्या	तारीख।
1.	भाग III, खंड 4	आईआरएस डीपी 325 88 जीएसआर	06.07.1988
2.	भाग III, खंड 4	आईआरएस 1 9926 एनएके	11.04.1998
3.	भाग III, खंड 4	आईआरएस 124(सी) 1101 एनएके	21.05.2001
4.	भाग III, खंड 4	आईआरएस 124सी 8633 एनएके/2010	05.03.2010
5.	भाग III, खंड 4	एचआरडब्ल्यू आईआरएस 124 (सी) एसजे 2542 2018	09.05.2018
6.	भाग III, खंड 4	एचआरडब्ल्यू आईआरएस 01 एके 1077 2020	27.03.2020

CANARA BANK

NOTIFICATION

Bengaluru, the 12th January, 2026

F. No. HR&PRW IRV IR&PS PP 18 2026 (E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Canara Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, (hereinafter referred to as the said regulations) in regulation (6),—

(a) For sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) Where it is proposed to hold an enquiry, the Disciplinary Authority shall, frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with a copy of such documents and list of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer Employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority not exceeding fifteen days, or within, such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge:

Provided further that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, the disciplinary authority shall allow the Officer employee to inspect such documents within a time specified in this behalf.";

(b) for sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(12) On receipt of the requisition under sub-regulation (11), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents physically or digitally shall produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiring Authority within a period of one month of the receipt of such requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents shall be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall on being so informed, communicate the information to the Officer Employee and withdraw the requisition made by it for the production of discovery of such documents.";

(c) in sub-regulation (21), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) (a) the Inquiring Authority shall conclude the inquiry and submit its report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiry Authority;

(b) where it is not possible to adhere to the time-limit specified in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the Disciplinary Authority in writing, who may allow additional time not exceeding six months at a time for completion of such inquiry;

(c) the extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorised by the Disciplinary Authority on his behalf.".

3. In the said regulations, for the schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"Schedule

[See regulations 3(b), (g), (n), 17 and 18]

Serial number	Name of post	Disciplinary authority	Appellate authority	Reviewing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Junior Management Grade Scale-I and Middle Management Grade Scale-II	Assistant General Manager	Deputy General Manager	General Manager
2.	Officers in Middle Management Grade Scale-III	Deputy General Manager	General Manager	Chief General Manager
3.	Officers in Senior Management Grade Scale-IV and Senior Management Grade Scale-V	General Manager	Chief General Manager	Executive Director
4.	Officers in Top Executive Grade Scale-VI	Chief General Manager	Executive Director	Managing Director & Chief Executive Officer
5.	Officers in Top Executive Grade Scale-VII	Executive Director	Managing Director & Chief Executive Officer	Committee of the Board
6.	Officers in Top Executive Grade Scale-VIII	Managing Director & Chief Executive Officer	Committee of the Board	The Board.".

B P JATAV, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./610/2025-26]

Note: The Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

Serial number	Part and section	Notification number	Date.
1.	Part III, Section 4	IRS DP 325 88 GSR	06.07.1988
2.	Part III, Section 4	IRS 1 9926 NAK	11.04.1998
3.	Part III, Section 4	IRS 124(C) 1101 NAK	21.05.2001
4.	Part III, Section 4	IRS 124C 8633 NAK/2010	05.03.2010
5.	Part III, Section 4	HRW IRS 124 (c) SJ 2542 2018	09.05.2018
6.	Part III, Section 4	HRW IRS 01 AK 1077 2020	27.03.2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.12 21:40:45 +05'30'